न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–192/2015

CIS NO. TS 114/2019

सुरेश साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दिलिप कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.03.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 22.08.2023 अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–02 बच्चन साह जो निहायत ही बेईमान किस्म के व्यक्ति है जिसने रंजन कुमार जिन्होने वादीगण के विरूद्ध बेतिया कोर्ट में क्रिमिनल का मुकदमा किया है एवं वादीगण को तंग तबाह करने के लिए वादग्रस्त भूमि में से 04 धुर भूमि अपने नाम से बिना किसी हक हकुक के प्रतिवादीगण सं0–02 से वर्ष 2015 में ही रजिस्टी बयनामा कराया है। प्रतिवादी सं0–06 के सगे भाई बनारस साह दोनों भाई मिलकर लगभग 02 धुर जमीन वादग्रस्त भूमि में से घेरकर ईंट का दिवाल जोड रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दोनों व्यक्तियों को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर देने से दिनांक 12.11.2024 को वंचित किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण की ओर वादग्रस्त भूमि से संबंधित बयनामा की छायाप्रति किया गया है लेहाजा आवेदन में वर्णित व्यक्ति वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन **“Mumbai International airpot PVT. Ltd. V/s Regency Convention center & hotel & ors AIR 2010 SCC 4222.”** के आलोक में आवश्यक पक्षकार उन्हें कहा गया है जिनके अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा उचित डिक्री पारित	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–192/2015</u>

<u>CIS NO. TS 114/2019</u>

सुरेश साह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

दिलिप कुमार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.03.2025	करना न्याय संगत नही होता है एवं यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार के रूप में नही जोडा जाता है तो वाद स्वतः खारिज होने योग्य होगा। अतः ऐसी स्थिति में वाद के उचित न्याय निर्णयन के मद्देनजर आवेदन में वर्णित व्यक्तिय प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना न्यायोचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में आवेदकगण का आवेदन दिनांक 22.08.2023 स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित व्यक्तियों को प्रतिवादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें। दिनांक 13.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	